मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 09.06.2025

थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत पिपराडाड़ में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी की घटना कारित करने वाले 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की सामान (साइकिल, गैंस सिलेण्डर व चूल्हा, सिलिंग फैन) बरामद —

थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत सहज मार्ग स्पिरिचुअलिटी फाउण्डेशन पिपराडाड़ आश्रम मीरजापुर में चोरी की घटना होने पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0देहात पर दिनांकः18.05.2025 को मु0अ0सं0-202/2025 धारा 303(2)बीएनएस, दिनांकः31.05.2025 को मु0अ0सं0-225/2025 धारा 331(4),305,324(4) बीएनएस व दिनांकः03.06.2025 को मु0अ0सं0-231/2025 धारा 331(4),305 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटनाओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक को0देहात को निर्देश दिये गये । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोगों में भौतिक एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलन, पतारसी-सुरागरसी तथा अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांकः08.06.2025 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर आवास कृषि चतुर्थ श्रेणी के पास से चोरी की घटना कारित करने वाले 03 नफर अभियुक्तों रामलोचन, शारूख खान उर्फ शाहरूख व राजबली को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की 01 अदद साइकिल हरक्यूलिस, 02 अदद इण्डियन गैंस सिलेण्डर(एक अदद भरा व एक अदद खाली), 02 अदद गैंस चूल्हा व 02 अदद सिलिंग फैन बरामद किया गया। थाना को0देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोगों में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.रामलोचन पुत्र दशरथ निवासी राजापुर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर(हालपता नुआँव को0देहात मीरजापुर),उम्र करीब-30वर्ष।

2.शारूख खान उर्फ शाहरूख पुत्र शकील खान निवासी कांशीराम आवास विसुन्दरपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर,उम्र करीब-27वर्ष।

3.राजबली पुत्र महाजन निवासी नुआँव सण्डवा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-24वर्ष।

बरामदगी विवरण —

- एक अदद साइकिल हरक्यूलिस पापुलर सिघंम
- 02 अदद सिलेण्डर इण्डियन(एक अदद भरा व एक अदद खाली) व 02 अदद गैस चूल्हा
- 02 अदद सिलिंग फैन

पंजीकृत अभियोग —

1.मु0अ0सं0-202/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना को0देहात जनपद मीरजापुर ।

2.मु0अ0सं0-225/2025 धारा 331(4),305,324(4),317(2) बीएनएस थाना को0देहात जनपद मीरजापुर ।

3.मु0अ0सं0 -231/2025 धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस थाना को0देहात जनदप मीरजापुर ।

आपराधिक इतिहास —

अभि0 रामलोचन उपरोक्त —

1.मु0अ0सं0-367/2011 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर ।

2.मु0अ0सं0 368/2011 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक शिवजी यादव व विजय कुमार मिश्रा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर ।

मुख्य आरक्षी स्टालिन सिंह, रामश्राय यादव, अमर सिंह व आरक्षी हिमांशु सिंह ।